<u>ःन्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 भिण्ड, जिला—भिण्ड (म.प्र.)ः</u> (समक्ष— धनराज दुबेला)

<u>व्यवहार बाद प्रकरण कमांक— 07ए / 2016 इ.दी.</u> <u>फाइलिंग नंबर— 230301005612016</u> <u>संस्थित दिनांक— 03.02.2016</u>

- 1. कमल किशोर शर्मा, उम्र 30 वर्ष,

विरूद्ध

1. विजय कुमार, उम्र— 55 साल जाति— ब्राहमण पुत्र विशेषवरदयाल निवासी कंचनपुरी समन्ना परगना व जिला भिण्ड हाल निवास ग्राम बरोही परगना व जिला भिण्ड म0प्र0

..... असल प्रतिवादी / अनावेदक

- 2. अशोक कुमार, उम्र– 59 साल,
- 3. महेश कुमार, उम्र 50 साल,
- 4. ओंकार प्रसाद, उम्र— 48 साल, पुत्रगण विशेषवरदयाल समस्त जाति— ब्राह्मण समस्त निवासीगण कंचनपुरी समन्ना परगना व जिला भिण्ड
- महिला गायत्री देवी, उम्र— 50 साल, पत्नी नागेश,
- रीता पत्नी बृजेशस, उम्र— 48 साल, निवासीगण— जोशी नगर इटावा रोड भिण्ड
- 7. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला भिण्ड म0प्र0तरतीवी प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

2 23

–ः आदेश ः–

{ दिनांक 19.07.2016 को पारित}

- 1. इस आदेश द्वारा वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० आई०ए०क० 2/16 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2. वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/आवेदकगण की ओर से यह वाद एवं यह आवेदन प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया है। वादी/आवेदकगण के पिता एवं अनावेदकगण क. 2 लगायत 4 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि मौजा बरोही ग्राम में स्थित है जिसका खाता क. 252 के आराजी क. 39 रकवा 0.190, आराजी क. 194 रकवा 0.530, आराजी क.200 रकवा 0.350 आराजी क.211 रकवा0.390 आराजी क. 215 रकवा 0.420,

आराजी क. 225 रकवा 0.200, आराजी क.226 रकवा 0.330, आराजी क. 232 रकवा 0.180, आराजी क. 245 रकवा 0.610 आराजी क.404 रकवा 0.170 कुल आराजी दस कुल रकवा 3.370 पर प्रतिवादी क.1 एवं तरतीवी प्रतिवादीगण क. 2 लगायत 4 1/2 भाग के भूमि स्वामी माल कागजात रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी भूमि के संबंध में प्रतिवादी क.1 जो आवेदकगण का पिता है, की भूमि बंटवारे के कारण विवादित हुई है जिसे आवेदन पत्र के आगामी पदों में वादोक्त भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा।

- आवेदकगण बालिंग होकर बेरोजगार व्यक्ति है, पढे-लिखे हैं, शासकीय नौकरी नहीं लगी हैं। धंधा काश्तकारी करते हैं तथा मौजा बरोही व ग्राम समन्ना में कंचनपूरी में निवास करते हैं। वहां भी पिता के नाम की कृषि भूमि है जिस पर फसल पैदा करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। मौजा बरोही की आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है जिससे तरतीवी प्रतिवादी क.2 लगायत 4 प्रतिवर्ष घरू बंटवारे के खेत बदल देते हैं और अनावेदक / असल प्रतिवादी को पोट-फुसलाकर विकय पत्र अपने हक में शीघ्रता में कराना चाहते हैं अथवा अपने मेलीय व्यक्ति को शीघ्रतिशीघ्र खुद—बुर्द कराने की फिराक में हैं। उक्त कृषि भूमि आवेदकगण की आजीविका है जिसके खुर्द-बुर्द होने से उन्हें अपूर्णतनीय क्षति होगी। असल अनावेदक / प्रतिवादी कृ.1 शराब पीने का आदी है और नशे की हालत में उसे अपना भला-बुरा समझने की क्षमता नहीं रहती है जिसके नशे की हालत में तरतीवी प्रतिवादी क. 2,3,4 इसका लाभ उठाना चाहते हैं। अनावेदक को उसके भाई शराब के लिए व खर्चे को उधार रूपये देकर उसकी आराजी को हडपना चाहते हैं। अनावेदक / प्रतिवादी क.1 न तो खेती करता है और न ही कोई अन्य रोजगार। आवेदकगण द्वारा परिवार का भरण-पोषण किया जा रहा है। यदि वादग्रस्त कृषि भूमि विक्य हो गयी तो परिवार भूखों मरेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि को अन्य हिस्सेदारों द्वारा ध ारू बंटवारा प्रतिवर्ष बदलने से ही आवेदकगण के द्वारा समतल कराये गये आराजी को देने से क्षति होती है जिसके लिए तहसील में बंटवारे की कार्यवाही चाही थी, किन्तु अनावेदक / प्रतिवादी क.1 बंटवारा कराने को तैयार नहीं है और आवेदकगण का बंटवारा आवेदन तहसीलदार ने लेने से इसलिए इंकार कर दिया कि पहले अपने स्वत्वों की घोषणा कर न्यायालय से लाओं तब तुम्हारा बंटवारा आवेदन लेंगे। यह बात दिनांक 08.12.2015 को तहसील न्यायालय भिण्ड में हुयी थी। दिनांक 05.01.2016 को अनावेदक / प्रतिवादी क.1 मौके पर तरतीवी प्रतिवादी क. 2,3,4 के साथ एक अनजान व्यक्ति को लेकर वादग्रस्त खेतों पर गया और आवेदकगण द्वारा की गयी कृषि भूमि के विक्रय की बात की। आवेदकगण ने रोका तो अनावेदक / प्रतिवादी कृ.1 ने ऐलानिया कहा कि वह इस जमीन को बेच देगी, जमीन उसके नाम की है तुम क्या कर लोंगे। वादग्रस्त भूमि अनावेदक को उसके पिता से प्राप्त हुई है और आवेदकगण विशेषश्वर दयाल के नाती होने से जन्म से उक्त आराजी के सह भागीदार हैं तथा मौके पर कब्जा काश्त है। केवल माल कागजात में अनावेदक / प्रतिवादी क.1 का इन्द्राज है, जो अनावेदकगण के मुकाबले प्रभावशून्य है। अतः वादी / आवेदकगण का प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी / आवेदकगण के पक्ष में है।
- 4. वादी/आवेदकगण का यह भी अभिकथन है कि वादी/आवेदकगण का परिवार शामिल शरीक रहता है। अनावेदक/प्रतिवादी क.1 एवं तरतीवी प्रतिवादी क. 2,3,4 एक ही मकान में परिवार सहित निवास करते हैं और परिवार हिन्दू कोपार्सनरी की बनारस विधि से शासित होकर चल रहा है जिसमें

वारिसान जन्म से अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। यदि प्रतिवादी क.1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर दिया गया तो वादी/आवेदकगण को अपूर्णतनीय क्षति होगी। अतः वादी/आवेदकगणा की ओर से यह आवेदन पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है कि प्रतिवादी क.1 को रोका जावे कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय न करें या अन्य किसी को व्यय या अन्तरित न करें।

अनावेदक / प्रतिवादी कृ.1 की ओर से वादी / आवेदकगण के आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा बरोही में होना स्वीकार है। वादीगण बेहद कामचोर एवं झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। वादी कृ.1 भारतीय सेना की अच्छी भली नौकरी छोड़कर भाग आया है जिसकी नौकरी के चक्कर में अनावेदक को बैगलोर में चार-पांच बार जाना पड़ा था एवं नौकरी में करीब दो लाख रूपये खर्च हुये थे। वह रूपये उसने मेहनत-मजदूरी करके जैसे तैसे जिन लोगों से लिये थे उन्हें देकर पटाये हैं। वादी कृ.1 कोई कार्य नहीं करता है। सारे दिन बैठा रहता है व झगडा करने पर आमादा रहता है। उसके उपर थाना फूफ में तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं तथा वादी क.2 उसी के कहने में चलता है। प्रतिवादी क.1 द्वारा समन्ना स्थित कृषि भूमि पर खेती व मेहनत–मजदूरी करके पाला–पोषा व बड़ा किया जो अब निठल्ले होकर प्रतिवादी को ही परेशान करते हैं, मारने को तत्पर हो जाते हैं तथा खाना तक नहीं देते हैं। प्रतिवादी, वादीगण के कियाकलापों से बेहद परेशान है। शेष आवेदन पत्र की कंडिकाओं के अभिकथन उसे स्वीकार नहीं हैं। दोनों वादीगणको प्रतिवादी कमाकर खिला रहा है और वादीगण कोई काम नहीं करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण क. 2,3,4 प्रतिवादी क.1 का कोई फायदा नहीं उठाना चाहते और न ही कभी क्षति पहुंचायी है। पूर्व में प्रतिवादी ने वादीगण के हित के लिए ही अन्य रिश्तेदारों को कुछ भूमि का अंतरण किया था जिसके एवज में मौजा समन्ना में भूमि क्रय की गयी थी। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क. 2,3,4 पर अनर्गेल और झुंठे आरोप लगाये हैं। यदि प्रतिवादी क.2,3 स्वयं अपने हिस्से की भूमि को विकय करना चाहते हैं तो उन्हें रोकने का न तो उस प्रतिवादी को और न ही वादीगण को कोई अधिकार है। विशेष कथन में प्रतिवादी क.1 की ओर से निवंदन किया है कि वादीगण/आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के भाड़े के रूपये स्वयं हड़प लेते हैं जिससे उस प्रतिवादी पर सेवा सहकारी संस्था फुफ के 22,830 / – रूपये बकाया हैं। जिसे प्रतिवादी द्वारा अदा करने के लिए वादीगण से कहा गया एवं वादी क.1 की शादी में करीब दो लाख रूपये कर्जा लेना पडा था जिसके अभी एक लाख रूपये तथा वादी क.2 के भंगदार के ऑपरेशन के इलाज में 50000/— रूपये कर्ज लेकर खर्च किये थे। इस प्रकार कुल 1,50,000 / — रूपये का प्रतिवादी पर कर्जा है जिसे अदा करने के लिए प्रतिवादी द्वारा वादीगण से कहा गया तो वादीगण ने मना कर दिया तथा झगड़ा करने पर आमादा हो गये। तब प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि की फसल की राशि नहीं देने के लिए कहा कि उक्त भूमि एवं समन्ना में स्थित भूमि की फसल राशि से अनावेदक सेवा सहकारी संस्था की बकाया राशि व डेढ़ लाख रूपये कर्ज अदा करेगा तथा वादीगण को विरोधी लोगों के साथ बैठने से रोकने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से एवं उनके साथ बेठकर मदिरा पान करने से रोकने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी को प्रताडित किया और मारने को आमादा हो गये तथा इसी बात पर वादीगण ने विरोधी लोगों के बहकावे में आकर यह झूंठा दावा प्रस्तुत किया है। अतः वादीगण का आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

- 6. वादी/आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में वादी अरिवन्द्र शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है व सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवादी की ओर से अपने जबाव के समर्थन में प्रतिवादी विजय कुमार शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है व सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका अवलोकन किया गया।
- 7. विचारणीय प्रश्न यह हैं कि,:--
 - (अ) क्या वादी / आवेदकगण का यह प्रथम दृष्टया वाद है ?
 - (ब) क्या सुविधा का संतुलन वादी / आवेदकगण के पक्ष में है ?
 - (स) क्या वादी/आवेदकगण के पक्ष में व प्रतिवादी क.1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की गयी तो वादी/आवेदकगण को अपूर्णतनीय क्षति होगी ?

<u>-: : विचारणीय प्रश्न क.अ पर निष्कर्ष : :-</u>

- 8. इस संबंध में वादी/आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र में यह अभिकथन किया है कि वादी/आवेदकगण के प्रतिवादी क.1 पिता है। शेष प्रतिवादीगण क. 2 लगायत 4 के नाम से ग्राम मौजा बरोही में कुल रकवा 3. 370 हैक्टेयर भूमि विद्यमान है जिस पर प्रतिवादी क.1 एवं प्रतिवादीगण क. 2,3,4 का 1/2 भाग भूमि स्वामी माल रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि खानदानी होकर पैत्रिक भूमि है जिसमें वादी/आवेदकगण का भी स्वत्व व आधिपत्य है। प्रतिवादी क.1, प्रतिवादीगण क. 2,3,4 के बहकावे में आकर वादग्रस्त कृषि भूमि को अन्य लोगों को विक्रय करना चाहते हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का भी स्वत्व व आधिपत्य है। प्रतिवादी क.1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर से अपना 1/2 हिस्सा विक्रय करने को आमादा है। इस संबंध में वादी/आवेदकगण की ओर से किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी हैं, जिनके परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी क.1 लगायत 6 का नाम राजस्व अभिलेख में बतौरा भूमि स्वामी दर्ज है।
- 9. प्रतिवादी क.1 के द्वारा अपने जबाव में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादी/आवेदकगण, प्रतिवादी क.1 के पुत्र हैं। वादी/आवेदकगण के द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह अभिकथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमियों का बंटवारा नहीं हुआ है। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र एवं वाद में यह अभिकथन किया है कि प्रतिवादी क. 2 लगायत 4 प्रतिवादी क.1 को प्रभाव में लेकर वादग्रस्त कृषि भूमि को खुर्द—बुर्द करने को आमादा है। प्रतिवादी क.1 नशे का आदी है जिसका लाभ प्रतिवादीगण क. 2,3,4 उठाना चाहता है और प्रतिवादी क. 2,3,4 प्रतिवादी क.1 को शराब के लिए एवं खर्च के लिए उधार देकर उसकी आराजी को हड़पना चाहते हैं। इसी के लिए वादी/आवेदकगण की ओर से यह वाद एवं यह आवेदन पत्र प्रतिवादी क.1 व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
- 10. वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त कृषि भूमि की किश्तबंदी खतौनी एवं खसरे के परिशीलन से पृथक होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी क.1 एवं प्रतिवादी क.2 लगायत 6 के नाम से राजस्व अभिलेख में

दर्ज है। प्रतिवादी क.1 व प्रतिवादी क.2 लगायत 6 के मध्य अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी क.1 व प्रतिवादीगण क. 2 लगायत 6 —1/2 भाग के रूप में राजस्व माल में नाम दर्ज है। उक्त तथ्य वादी/आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र में लेखबद्ध किये हैं। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमियों पर प्रतिवादी क.1 व प्रतिवादी क. 2 लगायत 4 का कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वाद/आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या सफल वाद की संकल्पना बलवती नहीं होती है।

<u>--: : विचारणीय प्रश्न क.ब पर निष्कर्ष : :--</u>

वादग्रस्त कृषि भूमि पर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी कृ.1 एवं 11. प्रतिवादीगण कृ 🙎 लगायत ६ का राजस्व अभिलेख में 1/2 भाग पर स्वत्व व आधिपत्य है एवं राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर वादी / आवेदकगण का कोई कब्जा या आधिपत्य रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज वादी / आवेदकगण की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी क.1 और प्रतिवादीगण क. 2 लगायत 4 का कब्जा व आधिपत्य है व राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज है। वादी / आवेदकगण की ओर से ऐसी भी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह प्रकट हो कि प्रतिवादी क. 2 लगायत 4, प्रतिवादी क.1 के नाम की वादग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय करना चाहते हैं। ऐसी भी कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे प्रकट हो कि प्रतिवादी क. 2 लगायत 4 वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी क.1 के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि को हड़प करना चाहते हैं। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र में लेखबद्ध किया है कि मौजा समन्ना में उनके पिता के नाम कृषि भूमि है जिस पर वे फसल बेचकर आजीविका चला रहे हैं। चूंकि, वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी कृ.1 व प्रतिवादीगण कृ. 2 लगायत ४ का अभी तक कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी क.1 वादग्रस्त भूमि को खुद-बुर्द करने की फिराक में नहीं है, यह प्रतिवादी क.1 के द्वारा अपने जबाव में लेखबद्ध किया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी वादी/आवेदकगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

—: : विचारणीय प्रश्न क्र.स पर निष्कर्ष : :—

- 12. वादी/आवेदकगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद नहीं है। सुविधा का संतुलन भी वादी/आवेदकगण के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमियों को प्रतिवादी क.1 विक्रय करना चाहता है या खुर्द—बुर्द करना चाहता है ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य या दस्तावेज वादी/आवेदकगण की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में वादी/आवेदकगण के पक्ष में व प्रतिवादी क.1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने से वादी/आवेदकगण को कोई अपूर्णतनीय क्षित होने की संभावना नहीं है।
- 13. उपरोक्त आधार पर वादी / आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० आई०ए०क० 2 / 16 निरस्त किया जाता हैं।
- 14. उभयपक्ष प्रकरण के शीघ्र निराकरण में सहयोग कारित करें।

15. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर निराकरण पर नहीं होगा।

All the state of t

स्थान—सिविल न्यायालय, भिण्ड दिनांक— 19 जुलाई, 2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित

{धनराज दुबेला} प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1 भिण्ड {म.प्र.}

(धनराज दुबेला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 भिण्ड (म.प्र.)